

सर्वोच्च न्यायालय ने नषिक्रयि इच्छामृत्यु के नयिमों को बनाया आसान

प्रलिमिस के लयि:

नषिक्रयि इच्छामृत्यु, राष्ट्रीय स्वास्थय डजिटिल रकिॉर्ड, अनुच्छेद 21, लविगि वलि ।

मेन्स के लयि:

भारत में नषिक्रयि इच्छामृत्यु, इच्छामृत्यु के दशिा-नरिदेशों में प्रमुख परिवर्तन ।

चर्चा में क्यों?

भारत में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [नषिक्रयि इच्छामृत्यु](#) के नयिमों में बदलाव कयिा है, इसका प्राथमकि उद्देशय इसे आसान बनाने के साथ ही कम समय लेने वाली प्रक्रयिा बनाना है ।

दशिा-नरिदेशों में प्रमुख परिवर्तन:

- सर्वोच्च न्यायालय ने **लविगि वलि (प्रतहिस्ताक्षरति/लखिति बयान)** को प्रमाणति करने या प्रतहिस्ताक्षरति करने के लयि [नयायकि मजसिटरेट](#) की आवश्यकता को खतम करने हेतु पछिले नरिणय को बदल दयिा ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने माना ककिस्ी व्यक्ती के लयिवेध वसीयत बनाने हेतु नोटरी या राजपत्रति अधिकारी द्वारा सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा ।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, **लविगि वलि** को संबंधति ज़लिा न्यायालय की नगिरानी में रखने के बजाय यह दस्तावेज़ **राष्ट्रीय स्वास्थय डजिटिल रकिॉर्ड** का हिस्सा होगा जसि देश के कसिी भी भाग में अस्पतालों और डॉक्टरों द्वारा एक्सेस (पहुँच की सुवधिा) कयिा जा सकता है ।
- यद अस्पताल का **मेडकिल बोर्ड चकित्सिा उपचार वापस लेने की अनुमति देने से इनकार करता है**, तो **रोगी के परिवार के सदस्य संबंधति उच्च न्यायालय में याचकिा दायर कर सकते हैं**, जो अंतमि नरिणय लेने के लयि चकित्सिा वशिषज्जों का एक नया बोर्ड नयिुक्त करता है ।

THE CHANGES BROUGHT

NOW

EARLIER

Living will

An attestation by a notary or a Gazetted officer to be sufficient for a living will

It was necessary that a judicial magistrate attest or countersign a living will

Access to the living will

Living will a part of national health record which can be accessed by Indian hospitals

Living will was kept in the custody of the district court concerned

Primary board to examine patient's condition

Three doctors, including treating physician and two other doctors with five years of experience in the specialty, will comprise the primary board of doctors

Primary board of doctors needs at least four experts from general medicine, cardiology, neurology, nephrology, psychiatry or oncology with overall standing of at least 20 years

Time taken to decide

Primary/secondary board to decide within 48 hours on withdrawal of further treatment

The 2018 judgment did not specify any outer limit on withdrawal of treatment

Secondary board

Hospital must immediately constitute a secondary board of medical experts

The district collector had to constitute the second board of medical experts

नष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia):

परिचय:

- नष्क्रिय (Passive) इच्छामृत्यु चिकित्सा उपचार को रोकने या वापस लेने का कार्य है, जैसे क किसी व्यक्तिको मरने की अनुमति देने के उद्देश्य से जीवन समर्थन उपकरणों को रोकना या वापस लेना है।
 - यह सक्रिय इच्छामृत्यु के विपरीत है, जिसमें सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से किसी पदार्थ या बाहरी बल द्वारा व्यक्तिके जीवन को समाप्त किया जाना शामिल है, जैसे कि घातक इंजेक्शन देना।

भारत में इच्छामृत्यु:

- एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में नष्क्रिय इच्छामृत्यु को यह कहते हुए वैध कर दिया था कि यह 'लविगि वलि' का विषय है।
- फैसले के अनुसार, अपने चेतन मन से एक वयस्क को चिकित्सा उपचार से इनकार करने या स्वेच्छा से कुछ शर्तों के तहत प्राकृतिक तरीके से मृत्यु को गले लगाने हेतु चिकित्सा उपचार नहीं लेने का निर्णय लेने की अनुमति है।
- इसमें गंभीर रूप से बीमार रोगियों द्वारा बनाई गई 'लविगि वलि' के लिये दशा-नरिदेश भी निर्धारित किये गए हैं।
- अदालत ने विशेष रूप से कहा कि "मृत्यु की प्रक्रिया में गरमि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। किसी व्यक्तिको जीवन के अंत में गरमि से वंचित करना व्यक्तिको एक सारथक अस्तित्व से वंचित करना है।"

इच्छामृत्यु वाले विभिन्न देश:

- नीदरलैंड, लक्ज़मबर्ग, बेल्जियम किसी भी ऐसे व्यक्तिको, जो "असहनीय पीड़ा" का सामना करता है और जिसके स्वास्थ्य में सुधार की कोई संभावना नहीं है, को इच्छामृत्यु एवं सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति देते हैं।
- स्विट्ज़रलैंड में इच्छामृत्यु प्रतिबंधित है लेकिन किसी डॉक्टर या चिकित्सीय पेशेवर की उपस्थिति तथा सहायता से मृत्यु प्राप्त करने की

अनुमति देता है।

- कनाडा ने घोषणा की थी कि मार्च 2023 तक मानसिक रूप से बीमार रोगियों को इच्छामृत्यु और अससिस्टेड डाइंग की अनुमति दी जाएगी; हालाँकि इस नरिणय की व्यापक रूप से आलोचना की गई है और इस कदम में कुछ बदलाव भी किये जा सकते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग कानून हैं। वाशिंगटन, ओरेगन और मोंटाना जैसे कुछ राज्यों में इच्छामृत्यु की अनुमति है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नजिता के अधिकार को जीवन एवं वयकतगित स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षण कया गया है। भारत के संवधान में नमिनलखिति में से कसिसे उपरयुक्त कथन सही एवं समुचति ढंग से अरथति होता है? (2018)

- अनुच्छेद 14 एवं संवधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध।
- अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दयि राज्य के नीतनरिदेशक तत्त्व।
- अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ।
- अनुच्छेद 24 एवं संवधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध।

उत्तर: c

[स्रोत: हदिसतान टाइम्स](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-eases-norms-for-passive-euthanasia>

